

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:— एफ.11(3) (गौ)/बजट घोषणा/गरम्मत./ICDS/2016/117424-456 जयपुर, दिनांक: 6-9-2016  
उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

विषय:—माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की गरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्रांक एफ 11(3) बजट घोषणा/गरम्मत/2016-17 Spl-1 जयपुर दिनांक 19.08.2016

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 की क्रियान्विति हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र में स्पष्ट रूप से आपको निर्देशित किया गया था कि राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के गरम्मत के तकगीने परियोजनावार जिला स्तर पर संकलित कर आवश्यक रूप से दिनांक 31.08.2016 से पूर्व निदेशालय को भिजवाये जावें ताकि वित्त विभाग को वांछित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकें।

बड़े खेद का विषय है कि उक्त सूचना आदिनांक तक भी अप्राप्त है जबकि इस संदर्भ में प्रत्येक जिले से दूरभाष पर भी निदेशालय से सतत वार्ता कर विषय की गम्भीरता से आपको अवगत कराया जाता रहा है। कई जिलों द्वारा गरम्मत कार्यों के बजाय चार दीवारी के नव निर्माण/शौचालय के निर्माण आदि कार्यों का उल्लेख कर प्रस्तावित किया है जो आपकी राज्यकार्य के महत्व के प्रति घोर लापरवाही व असंवेदनशीलता प्रदर्शित करता है।

पत्र जरिये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप संदर्भित पत्रानुसार वांछित सूचना अति आवश्यक रूप से 10 सितम्बर 2016 से पूर्व आपके अधीन रागी परियोजनाओं से प्राप्त सूचना को जिला स्तर पर इकजाई कर निम्न प्रारूप में हस्ताक्षरित कर विभागीय ई मेल [jdm.wcd@rajasthan.gov.in](mailto:jdm.wcd@rajasthan.gov.in) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें अन्यथा वांछित सूचना के अभाव में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये आप उत्तरदायी होंगे।

पत्र को सर्वाच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न--उपरोक्तानुसार

(डॉ. समित शर्मा)  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:— एफ.11(3) (गौ)/बजट घोषणा/गरम्मत./ICDS/2016/117457-524

जयपुर, दिनांक: 6-9-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव शासन सचिव म.बा.वि. जयपुर।
2. जिला कलक्टर.....समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

